

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No—523/XXVI-52-(2018-19)

Dated—4-6-19

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.465 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of BSNL (name of user agency) for the purpose of OFC laying from Thanu Telephone Exchange to Narendranagar Telephone Exchange (via Bhogpur & Dandi) Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of R. village (s) in tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....(Not applicable/exempted for linear projects like OFC laying, as per GOI, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC division) letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 28th Oct 2014, the permission seeking agency is exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and (f) in the second para of letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 03-08-2009.)
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the GramaSabhas have given their consent to it;(Not applicable/exempted for linear projects like OFC laying, as per GOI, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (FC division) letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 28th Oct 2014)
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

End: As above.

सन क्षेत्राधिकारी
शिवपुरी वनराजि
मुनि की रेती (टि०ग०)

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Dehradun

No---

Dated-----28-01-2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.156 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of BSNL (name of user agency) for the purpose of OFC laying from Thano Telephone Exchange to Narendranagar Telephone Exchange (via Bhogpur & Dandi) Dehradun district falls within jurisdiction of ... village (s) in Doiwala & Rishikesh tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....(Not applicable/exempted for linear projects like OFC laying, as per GOI, Ministry of Environment , Forest and Climate Change (FC division) letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 28th Oct 2014, the permission seeking agency is exempted from the requirement of obtaining consent of the concerned Gram Sabha(s) as stipulated in clause (c) read with clause (e) and (f) in the second para of letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 03-08-2009.)
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;(Not applicable/exempted for linear projects like OFC laying, as per GOI, Ministry of Environment , Forest and Climate Change (FC division) letter F.No.11-9/98-FC(Pt) dated 28th Oct 2014)
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

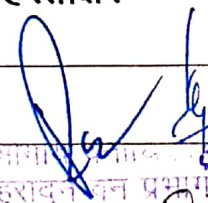
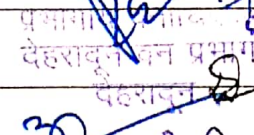
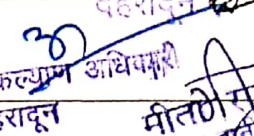
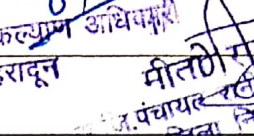
Encl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून
जिलास्तरीय समिति

भारत संचार नि०लि० देहरादून द्वारा जिला देहरादून के विकास खण्ड डीरवाला के अन्तर्गत दूरभाष केन्द्र थानो से नरेन्द्रनगर तक २४.५ कि०मी० लम्बाई एवं ३० से०मी० चौ० में आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव के सम्बन्ध में वनाधिकार अधिनियम, २००६ के अन्तर्गत जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक दिनांक २४-०१-२०१९ को आयोजित की गई जिसमें निम्न अधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हुये हैं।

क. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री <u>एल० ए० मुकुन्दधर</u>	जिलाधिकारी <u>देहरादून</u>	
2	श्री <u>राजीव धीमान</u>	प्रभागीय वन अधिकारी <u>देहरादून</u>	
3	श्री <u>अनुराग शेरवार्</u>	जिला समाज कल्याण अधिकारी <u>देहरादून</u>	
4	श्री <u>मर्ल मीता रावत</u>	जिला पंचायत सदस्य, <u>रानी पारवरी</u>	
5			

परियोजना का नाम ..जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य.

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून

पत्रांक

दिनांक 28-01-2019

जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) के धारा-6 (5) तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98-FC(PT) दिनांक 03 अगस्त 2009 द्वारा 21.12.2017 में जारी दिशा-निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 28/01/19 में जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में समस्त अन्य सदस्यगण उपस्थित हैं।

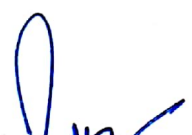
इस बैठक में जिला देहरादून के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर डांडी होते हुए नरेन्दनगर दूरभाष केन्द्र तक सड़क के किनारे-किनारे भूमिगत ऑप्टिकल फाईबर केबिल डालने हेतु 0.156 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के Right व Settlement के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श किया गया।

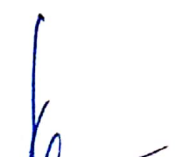
उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6 (3) के अनुसार ग्राम पंचायत के ग्राम स्तरीय समिति द्वारा बैठक में दिनांक को विचार विमर्श कर नियम के अनुसार निस्तारण किया गया। उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा 6 (3) के प्राविधान के अनुसार उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित उपजिला स्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनांक 4-01-2019 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

उक्त समितियों के प्रस्तुत/आख्या के अनुसार वर्तमान में विचारधीन उक्त वन भूमि हस्तान्तरण में यह पाया गया है कि देहरादून वन प्रभाग की थानों व बडकोट रेंज के आरक्षित वन में चिन्हित भू-भाग पर वन अधिकार हेतु किसी अनुसूचित जनजाति या अन्य परम्परागत हैं। अतः वन अधिकार हेतु कोई दावा नहीं है।

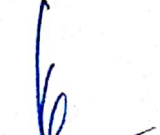
बैठक में जिलास्तरीय समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन किया। अन्त में धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक का समापन किया गया।


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला देहरादून
देहरादून


प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून


जिलाधिकारी
देहरादून

प्रतिलिपि:- भारत संचार लिमिटेड को सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी
देहरादून

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत धानों दूरमाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरमाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विद्यमाने का कार्य.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, (देहरादून) डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला

उपखण्ड डोईवाला/उत्तराखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत धानी दूर. केन्द्र से नरेन्द्रनगर तक BSNL के OFC कार्य हेतु
(0.051 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.051 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
0.051 हे० वन भूमि) का भारत सरकार नि. ति. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डोईवाला) की दिनांक 4-01-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री महेश चौधरी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री महेश चौधरी उपजिलाधिकारी —अध्यक्ष— उप जिलाधिकारी डोईवाला
- 2- श्री के.के. मेहता उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य — उप प्रभागीय वन अधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
- 3- श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य/सचिव — सहायक समाज कल्याण अधिकारी देहरादून उत्तराखण्ड
- 4- श्री रमेश सिंह मिश्रा बी०डी०सी० क्षेत्र —सदस्य — क्षेत्र पंचायत सदस्य (B.D.C.) कुडीवाला (धानी) वि.स. रायपुर, देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत

थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना हेतु ००५१ हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, परिक्षेत्र द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला/परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना के निर्माण हेतु ००५१ हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—
उप जिलाधिकारी
डोईवाला

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील—
जनपद—
उप जिलाधिकारी
डोईवाला
देहरादून

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य.

कार्यालय उप जिलाधिकारी, (देहरादून) डी.डी. नरेश/सुविदेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, सुविदेश

उपखण्ड सुविदेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर, डांडी-नरेन्द्रनगर तक OFC का
0.4050 हे० आरक्षित वन भूमि, 0 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि ...हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
0.4050 हे० वन भूमि) का भारत सरकार विमानन विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील डी.डी. नरेश/सुविदेश) की दिनांक 01-2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

वन भूमि सुविदेश 0.105 हे०
वन भूमि डी.डी. नरेश 0.051 हे०
वन भूमि देहरादून 0.156 हे०

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री प्रेम लाल, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री प्रेम लाल उपजिलाधिकारी —अध्यक्ष—

उप जिलाधिकारी
सुविदेश

2- श्री बी.बी. मेतालिया उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य
देहरादून

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग देहरादून

3- श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड - डोईवाला
जनपद देहरादून उत्तराखण्ड

4- श्री डी.ए. सिंह मिश्री वी०डी०सी० क्षेत्र -सदस्य

वी०डी०सी० क्षेत्र -सदस्य (B.D.C.)
कुडियाल (थानों)
वि.स. रायपुर, देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत

थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना हेतु 0.105 हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, तृपिकेश द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड तृपिकेश परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.105 हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-.....
जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- तृपिकेश
जनपद- देहरादून

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम :- जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत धाना दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर

दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन बिछाने का कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, नरेन्द्रनगर

उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत कोते प्र.के.से. नरेन्द्रनगर वर केन्द्र तक 2.11 कि.मी.
(0.465 हे० आरक्षित वन भूमि, = हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल
0.465 हे० वन भूमि) का भारत सरकार निगम लि. प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने
हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नरेन्द्रनगर) की दिनांक 04/01/15 को सम्पन्न बैठक
की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006
एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री _____, उप
जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में
माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री सी. हरि चोपड़ा उपजिलाधिकारी —अध्यक्ष 45
SDM
NARENDRA NAGAR
- 2- श्री डी.पी. वल्लेनी उप प्रभागीय वनाधिकारी-सदस्य देवप्रयाग
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
- 3- श्री राजेंद्र सिंह राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य सचिव
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
नरेन्द्रनगर (टिहरी-गढ़वाल)
- 4- श्री सुरेंद्र सिंह गुंडेर बी०डी०सी० क्षेत्र -सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य
22-सोनी
वि.ख. नरेन्द्र नगर (द.ग.)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक
की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत

थानों दूरमाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरमाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना हेतु 0.465 हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रकाश, नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नरेन्द्रनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों दूरमाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरमाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन विछाने का कार्य परियोजना के निर्माण हेतु 0.465 हे० वन भूमि भारत संचार निगम लिमिटेड, दूरसंचार परियोजना, देहरादून प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

45
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील- नरेन्द्रनगर

जनपद टिहरी-गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

45
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

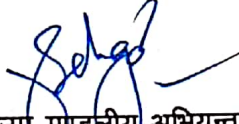
तहसील- नरेन्द्रनगर

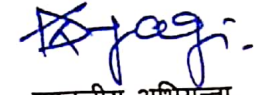
जनपद टिहरी गढ़वाल

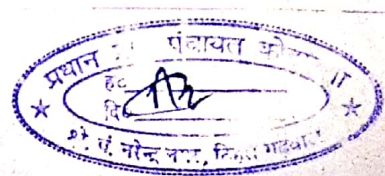
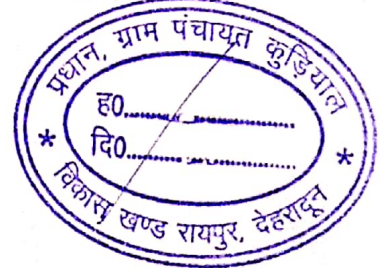
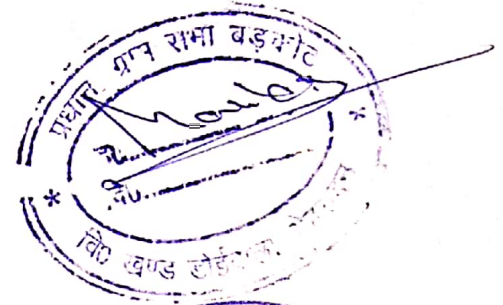
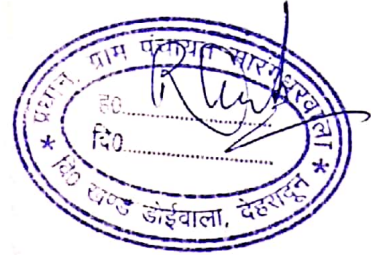
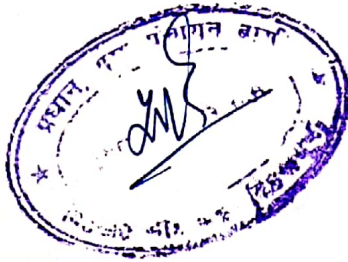
परियोजना का नाम ..जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से
डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक भूमिगत केबिल लाईन बिछाने
का कार्य.

आमसभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आरक्षित वन भूमि के जिस भाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केन्द्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेन्द्रनगर दूरभाष केन्द्र तक केबिल लाईन बिछाने के निर्माण प्रस्तावित है, ग्रामसभा को उक्त परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


उप मण्डलीय अभियन्ता,
दूरसंचार परियोजना
(बी०एस०एन०एल०) देहरादून
(उत्तराखण्ड)

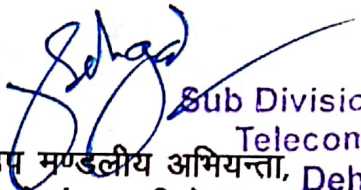

मण्डलीय अभियन्ता,
दूरसंचार परियोजना
(बी०एस०एन०एल०) देहरादून
(उत्तराखण्ड)



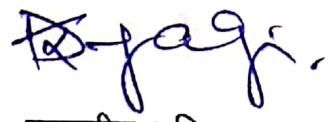
परियोजना का नाम जनपद देहरादून व टिहरी के अंतर्गत थानों दूरभाष केंद्र से भोगपुर से
डांडी होते हुए नरेंदेरनगर दूरभाष केंद्र तक भूमिगत केबल लाइन
बिछाने का कार्य

ग्रामसभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आरक्षित वन भूमि के जिस भाग के अन्तर्गत जनपद देहरादून व टिहरी के अन्तर्गत थानों दूरभाष केंद्र से भोगपुर से डांडी होते हुए नरेंदेरनगर दूरभाष केंद्र तक भूमिगत केबल लाइन बिछाने के निर्माण परियोजना प्रस्तावित है, ग्रामसभा को उक्त परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।


Sub Divisional Engineer
Telecom
उप मण्डलीय अभियन्ता,
दूरसंचार परियोजना
(बी०एस०एन०एल०)
देहरादून (उत्तराखण्ड)




मण्डलीय अभियन्ता,
दूरसंचार परियोजना
(बी०एस०एन०एल०)
देहरादून (उत्तराखण्ड)
मण्डल अभियन्ता (गर्भ)
का० महा
दूरसंचार परियोजना देहरादून

